मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य
(रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1978

["म.प्र. राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 7 दिसंबर 1978 में प्रकाशित तथा अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 1980, 5 फरवरी 1981, 24 सितम्बर 1982, 23 जनवरी 1986, 4 मई 1987 एवं 12 अक्टूबर 1987, 20 मार्च 1991 एवं 7 नवम्बर 1991, 24 दिसंबर, 2001, 1 जुलाई, 2006 तक संशोधित.

1. ये नियम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम 1978 कहलायेंगे.	संक्षिप्त नाम

2. इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, --	परिभाषाएं

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973);

(ख) "कूपन पुस्तक" से अभिप्रेत है रेल यात्रा कूपन पुस्तक जो किसी सदस्य को उसके स्वयं के लिये तथा उसके साथ चलने वाले [एक व्यक्ति] के लिये इन नियमों के अधीन जारी की गई हो,

[(ग) "सचिव" से अभिप्रेत है सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा तथा उसके अंतर्गत आता है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया गया है.]

"3. सदस्यों को कूपन पुस्तकों का दिया जाना-अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा कूपन पुस्तकों के सेट दिये जायेंगे जो, -

(एक) उसे अकेले प्रथम श्रेणी वातानुकूलित द्वारा; या

(दो) उसे उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति सहित प्रथम श्रेणी द्वारा या वातानुकूलित शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा.

किसी भी रेल से मध्यप्रदेश राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और म.प्र. राज्य के बाहर किसी एक वर्ष के दौरान केवल 6000 किलोमीटर तक यात्रा करने के लिए, जो नियम 11 के उपबंधों के अनुसार संगणित कि जायेगी हकदार बनायेंगे."

4.(1) सदस्यों द्वारा इन नियमों के अनुसार उपयोग करने हेतु कूपन पुस्तकों के प्रदाय के लिये, जब कभी आवश्यक हो सचिव द्वारा महाप्रबंधक, मध्य रेल्वे, मुम्बई को अध्यपेक्षा की जायेगी.	कूपन पुस्तकों के प्रदाय के लिये अध्यपेक्षा

"(2) ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, महाप्रबंधक, मध्यरेल्वे, मुम्बई, प्रथम श्रेणी वातानुकूलित या प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान से रेल यात्रा की कूपन पुस्तकें या द्वितीय श्रेणी शयनयान से रेल यात्रा की कूपन पुस्तके जिनका उपयोग सदस्यों द्वारा और उनके साथ चल रहे व्यक्तियों द्वारा किसी भी भारतीय रेल में यात्रा करने के लिये किया जा सकता है, सचिव को प्रदाय करेगा और म.प्र. राज्य के प्रति आवश्यक विकलन करेगा.

5. (1) कूपन, पुस्तकों के रूप में उपलब्ध होंगे, प्रत्येक कूपन पुस्तक में धन मूल्य कूपन निम्नानुसार अन्तर्विष्ट होंगे :-	धन मूल्य की कूपन पुस्तकें उपलभ्य होंगी

(1)	12 कूपन प्रत्येक 100 रूपये का	1200.00
	8 कूपन प्रत्येक 50 रूपये का	400.00
	12 कूपन प्रत्येक 20 रूपये का	240.00
	8 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	80.00
	12 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	60.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	20.00

	रूपये	2000.00"
(2)	8 कूपन प्रत्येक 25 रूपये का	200.00
	12 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	120.00
	28 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	140.00
	40 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	40.00

	रूपये	500.00"
(3)	4 कूपन प्रत्येक 25 रूपये का	100.00
	4 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	40.00
	8 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	40.00
	20 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	20.00

	रूपये	200.00"
(4)	4 कूपन प्रत्येक 10 रूपये का	40.00
	10 कूपन प्रत्येक 5 रूपये का	50.00
	10 कूपन प्रत्येक 1 रूपये का	10.00

	रूपये	100.00

(2) प्रत्येक कूपन पुस्तक पर पुस्तक क्रमांक और उसमें के प्रत्येक कूपन पर पुस्तक क्रमांक तथा अनुक्रमानुसार कूपन क्रमांक अंकित किये जायेंगे.

6. प्रत्येक कूपन पुस्तक की कीमत वही होगी जो रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय.	कूपन पुस्तकों की कीमत

" 7. प्रत्येक कूपन पुस्तक में सचिव द्वारा दिया गया निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अन्तर्विष्ट अर्थात :-	कू[redacted] पुस्तकों का प्रमाण-पत्र

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... मध्यप्रदेश विधान सभा के/की सदस्य हूं और उन्हें रेल यात्रा कूपनों के बदले में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित शयनयान/) द्वितीय श्रेणी शयनयान/ द्वितीय श्रेणी के टिकट जारी किए जाएं जिसके द्वारा वे अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन प्रथम श्रेणी वातानुकूलित द्वारा अकेले अथवा प्रथम श्रेणी द्वारा/वातानुकूलित शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति सहित मध्यप्रदेश राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और म.प्र. राज्य के बाहर प्रति वर्ष केवल 6,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिये हकदार होंगे/होंगी."

सदस्यं के हस्ताक्षर
अभिप्रमाणित

सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

8.(1) जिस सदस्य को कूपन पुस्तक जारी की जा रही हो उस सदस्य का नाम उसके (कूपन पुस्तक के) दिये जाने के पूर्व सचिव द्वारा उस पर लिखा जायेगा	कूपन पुस्तकें जारी करने के पूर्व की जाने के लिये अपेक्षित बातें

(2) सचिव ऐसी कोई कूपन पुस्तक जारी किये जाने के पूर्व निम्नलिखित घोषणा को (जो कि प्रत्येक ऐसी पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रित होगी) सदस्य के सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित करवायेगा, अर्थात् :-

" मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी .... एतदद्वारा घोषणा करता हूं करती हूं कि रियायत का उपयोग मेरे द्वारा तथा मेरे साथ चल रहे एक व्यक्ति द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर और राज्य के बाहर उन यात्राओं के लिये किया जायेगा जो कि मुझे मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के अधीन अनुज्ञेय है,

....

सदस्य के हस्ताक्षर अनुप्रमाणित
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

9.(1) (क) कूपन पुस्तकें एक समय में उतने दन मूल्य की जारी की जायेंगी जो किसी सदस्य को तथा उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति को राज्य के भीतर 6,000 किलो मीटर से अनधिक तथा राज्य के बाहर 3,000 किलो मीटर से अनधिक की यात्रा के लिये हकदार बनाता हो ;	एक समय पर उपयोग में लाई जाने वाली कूपन पुस्तकों की संख्या तथा उनकी उपलब्धता,

(ख) अनुसूचित में दिये गये प्ररूप में सदस्य द्वारा की गई घोषणा के आधार पर सदस्य को नई कूपन पुस्तक, सचिव का यह समाधान होने के पश्चात् जारी की जाएगी कि ऐसे सदस्य को पूर्व में जारी की गई कूपन पुस्तक का उपयोग ऐसे सदस्य द्वारा कर लिया गया है और सम्यक्त: पूर्ण तथा हस्ताक्षरित कूपनों के प्रतिपूर्ण वापिस प्राप्त हो गये हैं."

(ग) राज्य के भीतर यात्रा हेतु तथा राज्य के बाहर यात्रा हेतु कूपन पुस्तकें व विभिन्न रंगों में होगी ;

(घ) जहां उपयोग में न लाये गये कूपन विधिमान्यथताकी कालावधि की समाप्ति के पूर्व सदस्य द्वारा लौटाए नहीं जाते हैं वहां उनकी कीमत सचिव द्वारा सदस्य से वसूल की जाने योग्य होगी.

(2) कूपन पुस्तक केवल उस सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध रहेगी जिसका नाम उस पर विनिर्दिष्ट किया गया हो.

(3) कूपन पुस्तक किसी भी तारीख से जारी की जा सकेगी तथा एक वर्ष के लिये विधिमामन्य होगी.

(4) सचिव प्रत्येक सदस्य को इन नियमों के अधीन जारी की गई कूपन पुस्तकों का लेखा रखेगा.

(5) यदि सचिव का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिनियम की धारा 5-क तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किये गये रेल अभिवहन कूपनों के दुरूपयोग को रोकने तथा उनके उचित लेखा रखने के संबंध में आवश्यक अनुदेश अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त करने जारी कर सकेगा."

10. (1) इन नियमों के अधीन दी गई कूपन पुस्तकें तथा उनमें के कूपन अहस्तान्तरणीय होंगे और वे केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिये उपयोग में लाये जायेंगे, जिनके लिये वे जारी किये गये हों. (2) किसी व्यक्ति के सदस्य न रहने की दशा में, कूपन पुस्तक सचिव को लौटा दी जायगी.	कूपन पुस्तकें तथा कूपन अहस्तान्तरणीय होंगे

11. राज्य के बाहर की यात्रा संगणना निम्नानुसार की जायेगी :-	राज्य के बाहर की यात्रा की संगणना किस प्रकार की जायगी.

(1) राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान तक केवल उतनी यात्रा, जितनी कि [राज्य के भीतर के अंतिम रेल्वे स्टेशन] तथा राज्य के बाहर के गंतव्य स्थान के बीच की यात्रा हों,

(2) राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर के किसी स्थान तक की केवल उतनी यात्रा जितनी कि राज्य के बाहर प्रस्थान के स्टेशन से [राज्य के भीतर के प्रथम रेल्वे स्टेशन] के बीच की यात्रा हो.

(3) धारा 6 में निर्दिष्ट प्रकार की राज्य के बाहर यात्रा, जिसके लिए कोई सदस्य मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के नियम 3 के उप नियम (1-ख) के अधीन प्रथम श्रेणी रेल भाड़े का हकदार हैं, अपवर्जित की जाएगी.

12. (1) सचिव प्रत्येक सदस्य को एक अभिज्ञान-पत्र देगा जो सदस्य को फोटों तथा हस्ताक्षर से जो कि सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किये गये हों, युक्त होगा.	कूपनों से टिकिट क्रय करने की रीति.

(2) यात्रा करने का इच्छुक कोई भी सदस्य कूपन को उसमें से किसी कूपन को विलग्न किये बिना बुकिंग क्लर्क को प्रस्तुत करेगा. खुले कूपन, अर्थात कूपन पुस्तक से विलग्न कूपन, किन्ही भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किये जायेंगे.

(3) बुकिंग क्लर्क कूपन पुस्तक से उतनी संख्या में कूपन स्वयं निकालेगा जितनी कि यात्रा के लिये आवश्यकता हो, कूपन निकालने के पूर्व बुकिंग क्लर्क कूपन पुस्तक दारक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपना अभिज्ञान-पत्र दिखाये तथा वह अपने हस्ताक्षर कूपन पुस्तक में के हस्ताक्षर से उससे (हस्ताक्षर) मिलान करने के प्रयोजन के लिये कागज के टुकड़े पर करें, जहां वास्तविक रूप से अपेक्षित कूपनों से अधिक बुकिंग क्लर्क द्वारा कूपन पुस्तक से विलग्न किये जाय, वहां विलग्न कूपनों के पीछे एक यथोचित टिप्पण, जैसे 'दोषपूर्ण ढंग से विलग्न' बुकिंग क्लर्क द्वारा लिखा जावें और इस प्रकार लिखे गये टिप्पणी युक्त खुले कूपन उस स्थिति में स्वीकार किये जायेंगे जब कि वे टिकिट जारी करने के लिये प्रस्तुत किये जाये, यदि उसी कूपन को, जिससे कूपन अलग किये गये हैं, पेश किया गया हो, और उक्त कूपन पुस्तिका की उपयोगिता की कालावधि समाप्त न हो गई हो.

(4) कूपन या कूपनों के विनिमय के लिये बुकिंग क्लर्क एकल यात्रा टिकिट जैसा कि अपेक्षित हो, उस पर मुद्रित भाड़े को काट देने के पश्चात् जारी करेगा और टिकिट के पीछे लाल स्याही से शब्द "केवल सदस्यों के लिये आर.टी.कूपन" लिखेगा ;

परन्तु सदस्य के साथ चलने वाले किसी व्यक्ति के लिये --

(एक) उस समय तक टिकिट जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि उसी यात्रा के लिये सदस्य के स्वयं के लिये टिकिट जारी न किया गया हो.

(दो) सदस्य को जारी किये गये टिकिट से उच्चतर श्रेणी का टिकिट जारी नहीं किया जायेगा.

स्पष्टीकरण, -- यदि उसी सदस्य के पक्ष में जारी की गई दो विभिन्न कूपन पुस्तकों से रेल यात्रा कूपन टिकिट जारी करने के लिये प्रस्तुत किये जायं तो उसको इस नियम में उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए बुकिंग क्लर्क द्वारा स्वीकार किया जायेगा.

12-क, नियम 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रेल प्रशासन राज्य के भीतर के दो रेल्वे स्टेशनों के बीच की यात्रा के लिये सीजन टिकिट जारी करता है, यहां कोई सदस्य कूपनों के विनिमय में ऐसा टिकिट क्रय करने का हकदार होगा, सीजन टिकिट से संबंधित किराये की संगणना, विधिमान्यता की कालावधि किराये की वापसी तथा अन्य विषय उन्हीं शर्तों द्वारा विनियमित होंगे जैसे कि रेल प्रशासन द्वारा जनसाधारण के लिये समय-समय इस निमित्त अधिकथित की जाय.

12. ख. नियम 12-क के अधीन क्रय किये गये किसी सीजन टिकिट के संबंध में नियम 12, 13, 16, 17, 18, 19, तथा 20 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.]

13. कोई भी सदस्य जब कि वह नियम 12 के अधीन उसको जारी किये गये टिकिट से यात्रा कर रहा हो, अपने साथ अपना अभिज्ञान पत्र रखेगा जिसमें सचिव द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किया गया उसका फोटो चित्र होगा और उसे जब कि रेल्वे प्राधिकारियों द्वारा मांग की जाय, पेश करेगा.	सदस्य का अभिज्ञान
14. टिकिट की उपयोगिता की कालावधि, उस तारीख को ध्यान में रखते हुए जिसको कि वह जारी किया गया हो, वही होगी जो कि साधारण टिकिटों के लिये होती है.	रेल यात्रा कूपनों पर जारी किये गये टिकिट की उपयोगिता
15. जब उन स्टेशनों से उन स्टेशनों तक जहां तीर्थ यात्री कर या सीमाकर उद्ग्रहणीय हो, यात्रा करने के लिये रेल यात्रा कूपन के विनियमन में टिकिट जारी किया जाय तब कूपन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से तीर्थ यात्रा कर या सीमाकर नगदी में एकत्रित किया जायगा. इस प्रकार एकत्रित कर की रकम टिकिट के पृष्ठ भाग के ऊपर प्रविष्ट की जायगी.	तीर्थ यात्री कर तथा सीमा कर
16. कोई भी सदस्य ऐसा सामान निशुल्क ले जाने का हकदार होगा जो कि साधारण टिकिटों पर अनुज्ञेय है और सदस्य अतिरिक्त सामान के लिये, यदि कोई हो, संबंधित रेल प्रशासन द्वारा विहित सामान दर पर नगदी में भुगतान करेगा.	सामान
17. ऐसे रेल यात्रा कूपन पर, जिनका विनिमय न किया गया हो यात्रा करते हुए पाये जाने वाले किसी भी सदस्य के संबंध में यह समझा जायगा कि वह बिना टिकिट यात्रा कर रहा है और विहित व्यक्तियों के लिये दायी होगा, ऐसे मामलों में भाड़ों तथा अतिरिक्त प्रभारों का ऐसे सदस्य द्वारा भुगतान नगदी में किया जावेगा.	कूपन जिनका विनिमय किया गया हो.

18. रेल यात्रा कूपनों का उपयोग राज्य के भीतर और अधिनियम की धारा 5-क के अपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य के बाहर यात्रा करने वाले के लिये संबंधित रेल्वे के टिकिट घर में यात्री टिकिटों के लिये उनका (कूपनों का) विनियम करने के प्रयोजन के लिये तथा आरक्षण शुल्क, अनुपूरक अधिभारों और शयनयान अधिभारों का भुगतान करने के लिये किया जायेगा, रेल यात्रा कूपनों का उपयोग चलती हुई रेल में आरक्षण शुल्क, अनुपूरक अधिभार, शयनयान अधिभार तथा विस्तारित की गई यात्रा के प्रभारों के भुगतान के लिये भी किया जायगा.		कूपनों का उपयोग.

19. रेल्वे प्रशासन एक कूपन पुस्तक को इस सबूत पर कि उन शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है जिन पर वह (कूपन-पुस्तक) जारी की गई है, अधिकृतकर सकेगा. वह ऐसा करने के पूर्व इस मामले को सचिव के लिये निर्देशित करेगा और उसका अनुमोदन ऐसे अधिहरण के लिये अभिप्राप्त करेगा, ऐसा अधिहरण किया जाने पर कूपन पुस्तकों का मूल्य सचिव को वापिस किया जायगा.		कूपनों का अधिग्रहण

20. (1) उपयोग में न लाये गये उन कूपनों के संबंध में जो कि संबंधित रेल्वे प्रशासन को सचिव द्वारा वापस किये गये हों, प्रतिदाय उपयोग में न लाये गये कूपनों के मूल्य पर 10 प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात् मंजूर किया जायगा परन्तु यह तब जब कि वे (कूपन) उनकी विधिमान्यता की कालावधि के पश्चात् एक मास के भीतर रेल्वे को वापस कर दिये जायं.		प्रतिदाय.

(2) उपयोग में न लाई गई या अंशतः उपयोग में लाई गई उन टिकिटों के संबंध में जो कि कूपनों के बदले में जारी की गई हो, प्रतिदाय उन अपवादात्मक परिस्थितियों में के सिवाय मंजूर नहीं किया जायेगा जब कि प्रतिदाय उन सामान्य रद्दकरण संबंधी प्रभारों के, जो कि विद्यमान नियमों के अधीन लागू होते हों, अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाना चाहिये.

(3) प्रतिदाय समस्त मामलों में केवल सचिव को किया जायगा और उपनियम (2) में निर्दिष्ट रद्दकरण संबंधी प्रभार भी सचिव द्वारा वहन किये जायेंगे.

21. प्रत्येक कूपन पुस्तक पर नियम 10 से 20 तक के उपबंध, दोनों के उपबंधों को भी सम्मिलित करते हुए पूर्णतया मुद्रित किये जायेंगे.		कूपन पुस्तकों पर नियम 10 से 20 तक मुद्रित किए जाएंगे

22. यदि किसी सदस्य की कूपन पुस्तक खो जाती है या चोरी हो जाती है और सदस्य उस आशय की लिखित सूचना सचिव को दे देता है और यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाता है तो वह रू. 10,000/- (रूपये दस हजार) तक मूल्य के ऐसे कूपनों का अपलिखित कर सकेगा. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा के गठन से प्रारंभ होने वाली तथा उसके विघटन पर समाप्त होने वाली कालावधि के बीच केवल एक बार ऐसे सदस्य के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग करेगा.

5. परंतु "सदस्य की मृत्यु होने की दशा में अध्यक्ष मृत सदस्य के परिवार से प्राप्त लिखित जानकारी के आधार पर शेष रकम अपलिखित कर सकेगा"

"अनुसूची"

प्ररूप

[नियम 9(1) (ख) देखिये]

सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये गये रेल अभिवहन कूपनों द्वारा की गई
यात्रा का विवरण घोषणा

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.. सदस्य, विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... एतद द्वारा घोषित करताहूं/करती हूं कि :-

(एक) .... रूपये की कूपन क्रमांक ....(राज्य के भीतर यात्रा के लिए)

(दो) .... रूपये की कूपन पुस्तक क्रमांक .... (राज्य के बाहर यात्रा के लिये)

मेरे द्वारा और मेरे साथ जाने वाले व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई गई है और उसके प्रतिपूर्ण वापिस कर दिये गये हैं. मैंने और मेरे साथ जाने वाले व्यक्ति ने राज्य के भीतर .... कि.मी., राज्य के बाहर .... कि.मी. की यात्रा की है.

मैं, एतदद्वारा, राज्य के भीतर यात्रा के लिये .... रूपये के तथा राज्य के बाहर यात्रा रूपये के अनुपयोजित कूपन लौटाता/लौटाती हूं

....

सदस्य के हस्ताक्षर

तारीख ....

कृपया नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार अभिवहन कूपन जारी करें :-

(1) राज्य के भीतर यात्रा हेतु कूपन पुस्तक — स्वयं सदस्य तथा उसके साथ जाने वाले व्यक्ति के लिये, रूपये .... मूल्य की ;

(2) राज्य के बाहर यात्रा हेतु कूपन पुस्तक — स्वयं सदस्य तथा उसके साथ जाने वाले व्यक्ति के लिये, रूपये .... मूल्य की ;

जारी की गई

लिपिक,

....

अधिकारी."